



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)/
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18संस्थागतक्षेत्र18/Institutional Area,
शहीद जीत सिंह मार्ग/Shahid Jeet Singh Marg,
नईदिल्ली/110016 – New Delhi -110016
दूरभाष/Telephone No.: 011-26858570
Email- budget.section@kvs.gov.in

एफ.110239/51/2024/बजट/केवीएस(मु.)

दिनांक:- 25.11.2025

विषय: भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र /Circular issued by Govt. Of India.

भारत सरकार ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं प्रशिक्षण विभाग, डाक विभाग एवं संचार मंत्रालय, गृह मंत्रालय द्वारा निम्नवर्णित कार्यालय ज्ञापन/आदेश-सूचना आवश्यक कारवाई हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते है।

1. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या No G.I.,CGHS,O.M. No. 25-01/2018/CGHS/JD(Ayush)/Part-II, दिनांक 14-08-2025 – Renewal of Empanelment of Private Day Care Therapy Centres for Ayurveda, Yoga and Naturopathy under CGHS in Delhi/NCR .
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या No. G.I., M.F., O.M. No. 7(1)/E.V/2023, दिनांक 04-08-2025 – Central Government Employees' Group Insurance Scheme- 1980- Tables of Benefits for the savings fund for the period from 01-07-2025 to 30-09-2025 .
3. भारत सरकार, कार्मिक ,लोक शिकायत एवं प्रशिक्षण विभाग , वित्त मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या No. DOPT-1752820096240 दिनांक 03-09-2025 – Guidelines on Leave Travel Concession (LTC).
4. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या No. 2-1/2025-CGHS (HQ)/C&P/EHS (8328809), दिनांक 16-09-2025 – Guidelines for allowing medical facilities under CGHS/CS(MA) Rules,1944, to dependent transgender children/siblings irrespective of age.
5. भारत सरकार, डाक विभाग एवं संचार मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या No. PP-17/1/2025-PAP-DO, दिनांक 09-09-2025 – Clarification regarding reimbursement of Payment Gateway (PG) Charges in Air/ Railway tickets.

6. भारत सरकार गृह मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या No. 21034/25/2024- O.L.(Training), दिनांक 01-07-2025 – Increase in the amount of incentive-cash awards on passing Hindi Language, Hindi Typing and Hindi Stenography examinations under Hindi Teaching Scheme and increase in the amount of lump sum awards on passing Hindi Language, Hindi Typing and Hindi Stenography examinations under Hindi Teaching Scheme through individual efforts Ref : Letter No. 7/57/24-HTS (Hq.)/1320, dated 28-05-2024.



(संजय कुमार)
उपायुक्त(वित्त)

वितरण :

1. उपायुक्त, के० वी० एस०, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
2. वित्त अधिकारी, के० वी० एस०, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सभी अधिकारी / अनुभाग, के० वी० एस० (मु०) ।
4. प्राचार्य , के० वी० काठमांडू , मास्को एवं तेहरान ।
5. महासचिव , सभी मान्य संघ ।
6. निदेशक, जीट ग्वालियर , मुंबई , मैसूर , चंडीगढ़ एवं भुवनेश्वर।
7. उपायुक्त, ई डी पी , के वी एस (मु०) को के वी एस (मु०) की वेबसाइट के शीर्ष "सूचना पट(Announcements)" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
8. आर टी आई, के वी एस (मु०)।
9. गार्ड फ़ाइल